

15/4/18

वकुण्ढरी ० उपस्थित। जवाब देव समय चाहिए है। नमस्कार के एक अवसर दिया जाता है। व प्रतिवारी सरख्या 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 24 के समूह कृपया व प्रतिवारी सं. 6, 9, 11, 19, 20, 21 के समूह तलवाका पुनः पेश लेने पर जारी है। पत्रावली दिनांक 22/4/18 को पेश है।

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

मसूदा (अजमेर) राज०

22/4/18

वकुण्ढरी ० उपस्थित। ककील प्रतिवारी सरख्या 1 की आर है प्रार्थना पत्र धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संविधान शोधिका हुकूम करके वावर पेश किया शान्तिव निमत रही पत्रावली वासि जवाब वरत प्रार्थना पत्र दिनांक 26/4/18 को पेश है।

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

मसूदा (अजमेर) राज०

20/4/18

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/निवृत्ति उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रिकार करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रिकार किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 25/5/18 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित करें।

इस आगे ही चर्चा चलते है। आप ठीक भोजी

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

मसूदा (अजमेर) राज०

लाला मलीम

25/5/18 पत्रावली आन लोक अदालत - याप ऑफिस द्वार राज मचानत सुखानलप पीपलाज पर पेश हुई। वादीगण स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अब आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए है। प्रकरण ड्रॉप किया जाये। वादीगण की पहचान सरपंच राज मचानत पीपलाज में भी ख शोधिका पर प्रकरण ड्रॉप करके वावर रिपबली अकित दि रता स्थिति में वादीगण-प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं चाहिए पर वाद कार्रवाई ड्रॉप करके दे शोधिका पारित किये जाते है। मिसल पैसल सुभार होकर नमर से कम है। वाद वकला दतीवत है। शोधिका सुनाया गया।

इस आगे सेतान अलदीन इ. पुनी सखुदी

मदमी सरपंच

आम प आयत पीपलाज स. मसूदा (अजमेर)

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर) राज०

पुरवला (मसूदा) लोक अदालत मसूदा (अजमेर)

